

द्वितीय जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्र, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 26 द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब एवं राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 27 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। जो कि किये गये हैं। राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से की भूमि का अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं।


हमारी राय में मौजा धारणा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार खातेदारी दर्ज करवा सकते हैं, अतः मौजा धारणा के खेत खसरा नंबर 264 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि में एक मात्र वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादग्रस्त खेताय की भूमि का विभाजन पक्षकारान् के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

- : : आदेश : : -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धारणा के खेत खसरा नंबर 264 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि में एक मात्र वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादग्रस्त खेताय की भूमि का विभाजन पक्षकारान् के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा धारणा का खेत खसरा नंबर 264 रकबा 1.9425 पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 26 के हक बंट में उक्त खेताय में से कोई बंट नहीं रखा गया है। इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 26 का स्टाम्प शुल्क राजहित में जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
3. बैंक के रहन खसरान् यथावत बैंक के रहन रहेगें (बैंक के रहन होने पर)। संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(ओमप्रकाश कलक्टर)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)